संख्या-153/2021/1011/22-2-2020-17(396)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री गयाप्रसाद, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27333 /प्रोबेशन-3/ फार्म-ए (एम-14-10-2020) दिनांक-02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री गयाप्रसाद, जो हरकमपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने इलियाश द्वारा रूपये मांगने की रंजिश में दिनांक 24/25-05-2004 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर इलियाश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-283/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2020 तक 16 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-फर्रूखाबाद, पुलिस अधीक्षक, जनपद-फतेहगढ़ एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी की आयु एवं अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने इलियाश द्वारा रूपये मांगने की रंजिश में दिनांक 24/25-05-2004 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर इलियाश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा निर्दिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, फर्रूखाबाद, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री गयाप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी भूरा (बन्दी संख्या-23569) पुत्र श्री गयाप्रसाद, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-153/2021/1011(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-153/2021/1011/22-2-2020-17(396)/2020

दिनांक 17 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री गयाप्रसाद, जो हरकमपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने इलियाश द्वारा रूपये मांगने की रंजिश में दिनांक 24/25-05-2004 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर इलियाश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-283/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2020 तक 16 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-फर्रूखाबाद, पुलिस अधीक्षक, जनपद-फतेहगढ़ एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी की आयु एवं अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने इलियाश द्वारा रूपये मांगने की रंजिश में दिनांक 24/25-05-2004 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर इलियाश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, फर्रूखाबाद, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री गयाप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in